

न्यायालय—अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

प्रकरण क.RCT/147/2012

फाईलिंग नं. RCT/147/2012

संस्थित दिनांक 05/03/2012

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

1.प्रेमसिंह पिता देवसिंह मरावी, उम्र—40 साल,
2.रमसर पिता प्रेमसिंह मरावी, उम्र—19 साल,
3.चन्द्राबाई पति रमसर उर्फ रामेश्वर, उम्र—18 साल
सभी जाति दुलिया, निवासी चरचेडी, थाना बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....आरोपीगण

—:: नि र्ण य ::—

(आज दिनांक 12/12/2017 को घोषित)

01. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324/34, 506(भाग—2) के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.01.2012 को दिन के 3:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में आरोपी प्रेमसिंह के घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी चन्द्रबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहत उत्तमसिंह एवं चन्द्रबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत उत्तमसिंह को चप्पल से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आहत को कुल्हाड़ी से उसके बांये हाथ की कलाई पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक 27.01.2012 को करीब 3:00 बजे घटनास्थल ग्राम चरचेण्डी प्रेमसिंग के घर के सामने रोड किनारे आरोपी प्रेमसिंग, रमसर, चन्द्राबाई दुलिया एक राय होकर प्रार्थिया चन्द्रबाई को माँ—बहन की अश्लील गालियाँ देते हुये जान से मारने की धमकी देकर प्रेमसिंग द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर चोट कारित किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं आहत का मुलाहिजा कराया गया। मौका—नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपीगण को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 06/12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03. आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत चन्द्रबाई ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-2) के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04. आरोपीगण के विरुद्ध निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 27.01.2012 को दिन के 03:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में अन्य आरोपी के साथ मिलकर चन्द्रबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत चन्द्रबाई को कुल्हाड़ी से उसके बाए हाथ की कलाई पर मारकर उपहति कारित की ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. अभियोजन साक्षी उत्तमसिंह अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब तीन साल पूर्व दिन के करीब 02:30-03:00 बजे ग्राम चरचेण्डी की है। घटना के समय वह अपनी पत्नि चंद्रबाई के साथ बरसादी के घर मृतक कार्यक्रम में गया था, जहाँ पर उसका और उसकी पत्नि का आरोपीगण के साथ कार्यक्रम को लेकर वाद विवाद हुआ था। कार्यक्रम के बाद फिर वह अपने घर चला गया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी रमसर मांदी की बात पर बलसादी को गाली-गलौच कर रहा था, जिस पर उसने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद रमसर की पत्नि चंद्राबाई ने आकर उसके सिर पर चप्पल से मारा था तो उसकी पत्नि चंद्रबाई ने बीच-बचाव किया था, पूजा समाप्त होने पर जब वह अपने घर अपनी पत्नि के साथ आ रहा था तो आरोपीगण प्रेमसिंह, चंद्राबाई और रमसर अपने घर के सामने रोड किनारे खड़े थे, प्रेमसिंह के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिसने उसकी पत्नि को गाली की बात पर कुल्हाड़ी से मारा और जान से मारने की धमकी दी, प्रेमसिंह द्वारा कुल्हाड़ी मारने पर फन का कोना उसकी पत्नि के बांये हाथ की कलाई पर लगा, जिससे खून बहने लगा, झगड़े को अकलराम, कुवरसिंह व पंचराम ने शांत कराया, जिसके बाद वह अपनी पत्नि के साथ रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका और उसकी पत्नि का आरोपीगण से सिर्फ वाद-विवाद हुआ था कोई झगड़ा नहीं हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की गाली-गलौच नहीं की गई थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी गयी थी, आरोपी प्रेमसिंह द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी पत्नि को नहीं मारा गया था तथा आरोपीगण द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की गयी थी।

06. फरियादी/आहत चंद्रबाई(अ.सा.02) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो-तीन वर्ष पूर्व शाम के 4:00 बजे ग्राम चरचेंडी की है। घटना के समय वह अपने पति के साथ अपने समधी बरसाती के यहाँ मृत्यु कार्यक्रम में गई थी, जहाँ उन लोगों का आरोपीगण के साथ कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था। लोगों की समझाईश के बाद उनका विवाद शांत हो गया था। फिर कार्यक्रम के बाद वह सभी अपने घर चले गये थे। उसने घटना की शिकायत नहीं की थी और ना ही पुलिस को बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 27.01.2012 को दिन के करीब 1:30 बजे बरसाती के यहाँ कार्यक्रम में आरोपी रमसत आया और बरसाती को माँ-बहन की गालियों देते हुए मारने-पीटने होने लगा, तभी उसके पति ने आपत्ति की तो रमसत की घरवाली चंद्राबाई आ गई और उसके पति को चप्पल से मारी, फिर वह अपने पति को लेकर करीब 3:00 बजे अपने घर जाने लगी तब रमसत हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियों देते हुए उसके बांये हाथ की कलाई पर मारकर चला गया, जिसे अक्कलराम, कुंवरसिंह ने भी देखा, फिर वह अपने पति के साथ थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 पर उसके अंगुठा निशानी है, पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया था, मौका-नक्शा प्र.पी.04 पर उसके अंगुठा निशानी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उन लोगों का आरोपीगण से मौखिक वाद-विवाद हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की गाली-गलौच नहीं की गई थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी गई थी, आरोपी प्रेमसिंह द्वारा कुल्हाड़ी से उसे नहीं मारा गया था।

07. फरियादी साक्षी चंद्रबाई अ.सा.02 एवं उत्तमसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण एवं उनका केवल वाद-विवाद हुआ था। आरोपीगण ने किसी प्रकार की गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। आरोपी प्रेमसिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट नहीं की गई थी। आरोपीगण द्वारा उनसे कोई मारपीट नहीं की गई थी। वर्तमान में उनका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। फरियादी साक्षी चंद्रबाई अ.सा.02 एवं आहत उत्तमसिंह अ.सा.01 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिन्होंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त प्रेमसिंह ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर चन्द्रबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत चन्द्रबाई को कुल्हाड़ी से उसके बांये हाथ की कलाई पर मारकर उपहति कारित

की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी एवं प्लास्टिक की काले रंग की चप्पल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु
कीय / विधिक उपयोग